मद्रास उच्च न्यायालय

10 अक्टूबर, 1991/रिट याचिका सं० 10102/1983

न्यायमूर्ति डी० राजू

द्राविड़ कजागम द्वारा जनरल सेक्रेट्री, के० वीरामणि

बनाम

चेयरमैन, यूनाइटेड इंडिया इन्स्योरेंस कं० लि०, 24, व्हाइट्स रोड, मद्रास-14

श्री के० चंद्रू (एडवोकेट) वादी की ओर से

श्री विजय नारायण (एडवोकेट) प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

1. यह रिट याचिका यह निर्देश देने हेतु दायर की गई है कि प्रतिवादी को कारपोरेशन के खर्च पर छपवाए गए एवं भेजे जा रहे ग्रीटिंग कार्ड्स, जो उनके धार्मिक विश्वास पर आधारित हैं, के प्रयोग से रोका जाए।
2. वादी द्राविड़ कजागम के जनरल सेक्रेट्री का कहना है कि वह (संस्था) 1925 से कार्यरत है तथा अंधविश्वासों का विरोध, सामाजिक न्याय एवं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप इस गणराज्य को एक वास्तविक धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षरत है। उनका यह भी कथन है कि भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी धर्मनिर्पेक्षता के पथ से हटने वाली सरकार या उसकी संस्था का पुरजोर विरोध करते हैं। इस देश में भिन्न-भिन्न धार्मिक विश्वास व कर्मकांड, प्रकृति के वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव जीवन की धारणाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। संविधान की धारा 14 और 25 के संदर्भ में कहा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों ने सभी नागरिकों को न केवल न्याय की दृष्टि से बराबर माना है, वरन अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है।
3. वादी ने यह भी कहा है कि 1972 के केंद्रीय कानून सं० 57 के अंतर्गत जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन का गठन हुआ था और प्रतिवादी उसी कारपोरेशन का एक सहायक कारपोरेशन है, यह पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत है एवं समाज के आर्थिक मामलों को व्यापक हित में सँभालने के लिए बनाया गया है और यद्यपि इसका अध्यक्ष चेयरमैन है, पर वह संविधान की धारा 12 के अंतर्गत दी गई 'राज्य' की परिभाषा के अनुरूप ही कार्य कर सकता है, अपनी मर्जी या स्वच्छंदता से नहीं। प्रतिवादी चेयरमैन श्री के. सी. पुनप्पा विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कारपोरेशन के खर्चे से लोगों को ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं और चूँकि वह हिंदू धर्म को मानते हैं, अत: महत्त्वपूर्ण हिंदू त्योहारों पर लोगों को ग्रीटिंग कार्ड भेजना नहीं भूलते। वादी के अनुसार ऐसे अवसरों पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, पर राज्य के धन से ऐसे सांप्रदायिक कार्य नहीं होने चाहिए। दीपावली के अवसर पर भेजा गया एक बहुरंगी ग्रीटिंग कार्ड प्रस्तुत किया गया है जिस पर चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं और ऐसे लगभग 5000 कार्ड 25,000/- के खर्चे पर कारपोरेशन द्वारा छपवाकर भेजे गए हैं।

4. वादी की दलीलों पर विचार करने से पूर्व, वादी द्वारा प्रस्तुत इस ग्रीटिंग कार्ड में छपे तथ्यों का अवलोकन आवश्यक है। ग्रीटिंग कार्ड में 4 पृष्ठ हैं। प्रथम पृष्ठ पर एक बहुरंगी डिजाइन है, जिसमें सूर्य और उसके मध्य ॐ बना है। ऊपर लिखा है—'दीपावली पर एक प्रार्थना' तथा नीचे लिखा है—'दीपावली की शुभकामनाएँ'। चौथे एवं अंतिम पृष्ठ पर प्रतिवादी कारपोरेशन का प्रतीक चिह्न, नाम और पता है। पेज नं० 2 पर गायत्री मंत्री इस प्रकार छपा है।

"ॐ
भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गोदेवस्य धीमहि
धियो योनः प्रचोदयात्"

"यह मंत्र सूर्य की ओर मुँह करके दिन में तीन बार—प्रातः, मध्याह्न और सायं को कम से कम 5-5 बार जपना चाहिए। हम मंत्र को उपरोक्त 5 पंक्तियों में याद करें। जप करते समय प्रत्येक पंक्ति को अलग-अलग थोड़ा रुकते हुए जपें।"

"यहाँ गायत्री मंत्र के दो रोचक अंग्रेजी अनुवाद भी दे रहे हैं।"

1. 1817 में सर विलियम जोन्स का अनुवाद—'हम दिव्य सूर्य की प्रभुता की आराधना करें, जो ईश्वर का मुख है और सबको प्रकाशित करता है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जीवन पाते हैं और जहाँ सबको वापस जाना है, उससे हम प्रार्थना करें कि वह हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाए तथा अपनी दिव्यता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करे।'
2. 'हम अपने आराध्य देव के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं जो सर्वांतरयामी 'ओम' के रूप में जाना जाता है, जो तीनों लोकों को गतिवान और प्राणवान रखता है, जिसे स्मरण रखना चाहिए, पूजा और आराधना करना चाहिए। वह हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे तथा विवेक का वरदान दे।' शुभकामनाओं सहित (हस्ताक्षरित) के.सी. पुनप्पा"

5. वादी का यह भी कहना है कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों द्वारा ही जपा जाता है, जो हिंदू धर्मावलंबियों में अत्यंत मामूली संख्या में हैं। इसके अतिरिक्त भी 'राज्य के धन' से किसी धर्म विशेष की धार्मिक विचारधारा का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता, इस राष्ट्रीयकृत इन्स्योरेंस कं० के शेयर-धारक और कर्मचारी अन्य धर्मों को मानने वाले भी हैं। प्रतिवादी कारपोरेशन के चेयरमैन का यह कार्य मनमाना और असंवैधानिक है और संविधान की धर्मनिर्पेक्ष भावना की रक्षा करने हेतु उनको ऐसे कार्य से रोका जाना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

6. प्रतिवादी कारपोरेशन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, जिनके हस्ताक्षर से यह ग्रीटिंग कार्ड जारी हुए हैं, ने स्वयं प्रतिशपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि प्रतिवादी कंपनी जनरल इन्स्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है, जिसका गठन 1972 के जनरल इन्स्योरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत हुआ है। 1972 के इस केंद्रीय कानून सं० 67 की धारा 19(3) के अनुसार कंपनी को जहाँ तक संभव हो व्यापारिक सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करना है। प्रतिवादी कारपोरेशन की यह परंपरा रही है कि दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष आदि पर अपने सम्माननीय ग्राहकों को ग्रीटिंग कार्ड भेजे जाएँ और इसी परंपरा के निर्वहन में वर्ष 1983 की दीपावली पर यह ग्रीटिंग कार्ड भेजा गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि त्योहारों पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने से कारपोरेशन के प्रति सद्भावना बढ़ती है एवं यह विज्ञापन का भी एक अच्छा माध्यम है। इसमें संविधान या किसी भी अन्य कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रतिवादी ने यह स्वीकार करते हुए कि वह हिंदू हैं, यह भी कहा है कि वह मरकरा (कुर्ग) का निवासी है, जहाँ लोग न तो दीपावली मनाते हैं और न ही जन्म, मृत्यु, विवाह आदि

किसी भी समारोह में ब्राह्मण-पुरोहितों को बुलाते हैं। उसका स्वयं दीपावली से कोई लगाव नहीं है, पर चूँकि देश की अधिसंख्य जनता के लिए यह एक खुशी का त्योहार है, अत: कारपोरेशन के व्यापक हित में कुछ सम्माननीय ग्राहकों को ग्रीटिंग कार्ड भेजे गए थे और वह भी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, वरन कारपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से। कुल दो हजार कार्ड छपे थे, जिस पर रुपये 11,920-75 का व्यय हुआ। प्रतिवादी कारपोरेशन एक राष्ट्रीयकृत व्यापारिक प्रतिष्ठान है, पर इसे अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है और ऐसे व्यापारिक सिद्धांतों का भी पालन करना होता है। प्रतिवादी ने यह भी कहा है कि संविधान या किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तथा वादी ने भी अपने शपथपत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा है।

7. जहाँ तक गायत्री मंत्र का संबंध है, प्रतिशपथपत्र के पैरा 8 में इस प्रकार लिखा है—''पैरा 6 (शपथपत्र) में दिया गया यह तर्क कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों द्वारा ही जपा जाता है, गलत और अमान्य है। रिट याचिका के निर्णय के लिए यह तर्क अनावश्यक है। यह भी अमान्य है कि दीपावली पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने से किसी धर्म विशेष की विचारधारा का प्रचार हुआ है।''

8. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री के० चंदू ने शपथपत्र में दिए तथ्यों के समर्थन में यूनाइटेड स्टेट्स (अमरीका) की सुप्रीम कोर्ट के तीन निर्णय प्रस्तुत किए हैं। पहला निर्णय आर्क आर० एमर्सन बनाम शिक्षा बोर्ड का है, जिसमें न्यायालय ने यह तय किया कि राज्य या कोई संघीय सरकार किसी भी धार्मिक संस्था के मामलों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते और किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों या संस्थानों में धार्मिक विचारों की शिक्षा हेतु किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई टैक्स भी नहीं लगा सकते। अबिंगटन स्कूल जिला शेम्प के मामले में यह विचारणीय था कि स्कूल में प्रतिदिन प्रारंभ में सभी बच्चों के द्वारा मिलकर बाइबिल के अंश का पाठ और ईश्वर की प्रार्थना से संविधान या किसी अन्य नियम-कानून का क्या कोई उल्लंघन होता है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार को पूर्ण तटस्थता बरतनी चाहिए और धर्म का न समर्थन और न ही विरोध करना चाहिए। यह तय किया गया कि सरकार द्वारा चर्च को उसकी धार्मिक गतिविधियों के लिए दी गई आर्थिक सहायता, चाहे वह कितनी भी कम हो, संविधान के विरुद्ध है। यह तय करने में सिद्धांत यह रखा गया था कि (राज्य के) कार्य का मूल प्रभाव क्या पड़ता है। लेमन बनाम कुर्जमैन के केस में यह विचारणीय था कि क्या चर्च के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों को एवं वहाँ धार्मिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों को सरकारी सहायता देना संविधान का उल्लंघन है? मूल प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियाँ धार्मिक शिक्षा का अभिन्न अंग हैं और कानून के विरुद्ध हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिशपथपत्र का समर्थन किया और रिट को निरस्त करने का आग्रह इस आधार पर किया कि इस मामले में किसी भी प्रकार का कानूनी उल्लंघन नहीं है।

9. धर्मनिर्पेक्ष (सेक्यूलर) या धर्म (रिलीजन) शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ अधार्मिक या धर्मविरुद्ध होना नहीं है। ऐसा कहना नकारात्मक धर्मनिर्पेक्षता है और यह सकारात्मक और रचनात्मक अर्थ नहीं है। धर्मनिर्पेक्षता से मात्र तात्पर्य है—'सर्व धर्म समभाव' अर्थात धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने धर्म का पूर्ण उत्साह से पालन करते हुए, अन्य सभी धर्मों को भी उसी ध्येय-परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग समझता है। अत: मूल रूप में 'धार्मिक सहिष्णुता' या 'सर्वमन्थ समाथी' के प्राचीन वाक्यांश का ही यह वर्तमान स्वरूप है। जहाँ तक 'राज्य' का संबंध है, हमारे यहाँ राज्य किसी भी धर्म विशेष से स्वयं को नहीं जोड़ता। संविधान सभा के भाषणों से स्पष्ट है कि ''संविधान में धर्मनिर्पेक्षता से यह आशय नहीं है कि राज्य धर्म से पूरी तरह अलग हो जाए, वरन उसका दृष्टिकोण धार्मिक तटस्थता का होना चाहिए और सभी धर्मों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।'' वादी का तर्क इस विचार पर आधारित है कि धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ है कि राज्य को धर्म से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं रखना चाहिए। अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में धर्मनिर्पेक्षता का यह अर्थ कि राज्य को धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और उसे धर्म से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, उन देशों के असाधारण

ऐतिहासिक कारणों पर आधारित है। वहाँ चर्च द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध संघर्ष से धर्म का जागरण व विकास हुआ है। हमारे देश की पृष्ठभूमि उच्चस्तरीय दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है, जो त्याग, पुण्य, योग, सत्य और ज्ञान की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित है तथा एक नैतिक, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। न तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यह चाहा है और न ही संविधान की किसी धारा की यह भावना है कि हम अपने दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों एवं उच्च जीवन मूल्यों को, जो कि भारतीय राजनीति और संस्कृति के मूल आधार हैं, तिलांजलि दे दें। धर्म केवल आस्तिकता नहीं है और बौद्ध व जैन भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। धर्म और धार्मिक विश्वास एक बात नहीं हैं। धार्मिक निर्देश (कर्मकांड) से तात्पर्य है किसी भी पंथ, मत या संप्रदाय द्वारा अपने पूजा करने, उत्सव मनाने के तरीकों के बारे में शिक्षा या मार्गदर्शन देना।

10. गायत्री मंत्र को 'शब्द ब्रह्म' कहा गया है, यह ऋगवेद की तीसरे मंडल के छटे सूत्र का दसवाँ मंत्र है। यह सर्वव्यापक और दिव्यता का पर्यायवाची समझा जाता है तथा सार्वभौम प्रार्थना के रूप में प्रतिष्ठित है जो कृपा या क्षमा नहीं माँगती, वरन शुद्ध बुद्धि चाहती है, जिससे बिना किसी रुकावट के सत्य का ज्ञान हो सके। अत: यह माना जाता है कि जो इसका जप करता है, तीनों लोकों में व्याप्त उसके दिव्य प्रकाश का ध्यान करता है तथा उसके ज्ञान के प्रकाश में मोक्ष की कामना करता है, उसको यह पवित्रता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्‌गम वेदों और वैदिक काल का है, अत: इसका संबंध किसी धर्म विशेष से जोड़ना गलत होगा। गायत्री मंत्र वैदिक ज्ञान की कुंजी है। वर्तमान में प्रचलित धर्म जब से अस्तित्व में आए हैं, वेदों का अस्तित्व उन सब से बहुत पहले से है। वे न किसी धर्म से संबंधित हैं और न किसी धर्म का प्रचार करते हैं। वेदों को सदैव संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी समझा गया है और ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय आदि में सीमित नहीं हैं। वैदिक मंत्र तो वर्तमान भाषाओं के विकास से भी बहुत पहले से अस्तित्व में माने गए हैं। चूँकि इसे 'ब्रह्म' माना गया है, अत: यह मन और बुद्धि से भी पहले का है और इस अनंत 'शब्द ब्रह्म' की व्याख्या करने का प्रयास ऐसा ही है, जैसे एक गज से असीम आकाश को या एक फुट के स्केल से समुद्र की गहराई को नापना। वेदों के अर्थ अत्यंत व्यापक, गहन, गंभीर और गुप्त हैं और चूँकि सामान्य व्यक्ति उन दिनों इसके गूढ़ अर्थ को समझने एवं उसकी प्रेरणाओं का पालन करने में सक्षम नहीं थे, अनेक व्याख्याताओं ने अपने मानसिक स्तर, ज्ञान और वातावरण के अनुरूप सहायक शास्त्रों की रचना की। अनेक विद्वानों, आध्यात्मिक साधकों व नेताओं तथा इतिहासकारों ने अपने-अपने विचारों के आधार पर प्राचीन शास्त्रों व मंत्रों की व्याख्या की है, पर उनके आधार पर भी न तो इन मंत्रों की सार्वदेशिकता को नकारा जा सकता है और न इस तथ्य को कि वे निर्विवाद रूप से सभी धर्मों से ऊपर हैं और इतिहास व धर्म के अस्तित्व से भी पुराने हैं। अत: वादी की यह कल्पना या आशंका निर्मूल है कि गायत्री मंत्र किसी धर्म की शिक्षा देता है या प्रचार करता है या किसी जाति का विशेषाधिकार है। यह कहना भी पूरी तरह आधारहीन है कि केवल ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र को जप सकते हैं। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जो सिद्ध कर सके कि गायत्री मंत्र किसी जाति या संप्रदाय की संपत्ति या विशेष अधिकार है और प्राचीन शास्त्र एवं साहित्य भी ऐसी बात को निहित स्वार्थ से प्रेरित ईश-निंदा ही समझेंगे। वेदों के संबंध में भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने कहा है—"वैदिक साहित्य संसार में सबसे प्राचीन है। यह मानवीय संस्कृति का उद्‌गम और सभी शक्तियों का आधार है। ज्ञान की सभी शाखाओं की जड़ वेदों में है। सभी धर्म और मूल्य वेदों से उत्पन्न हुए हैं। वेद अनादि, अथाह, असीम ज्ञान के सागर हैं। वेद शब्द संस्कृत की 'विद्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान—ईश्वरीय एवं आत्मिक दोनों। वेद विज्ञान हैं—ज्ञान की पराकाष्टा। यह किसी व्यक्ति, स्थान या काल से संबंधित नहीं हैं, यह विश्वव्यापी हैं। संसार के मूर्द्धन्य तपस्वियों, ऋषियों, दार्शनिकों ने जो धर्म की सीमा से बहुत ऊपर हैं, गायत्री मंत्र को जपने और उच्चारित करने की प्रेरणा दी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे० बी० एस० हलडेन ने एक बार लिखा है कि "विश्व की प्रत्येक प्रयोगशाला के दरवाजे पर गायत्री मंत्र खुदा हुआ (लिखा) होना चाहिए।" वेदों के दार्शनिक, आध्यात्मिक प्रतिपादन मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के व्यावहारिक

सिद्धांत हैं और इनका उद्देश्य मनुष्य को देवता बनाना है। इसी कारण इन्हें 'विज्ञान का भी विज्ञान' कहा जाता है और सारे विश्व में इनकी प्रतिष्ठा है। यह न भारत के हैं, न किसी अन्य देश के, न किसी धर्म के, वरन ईश्वर की सत्य वाणी के रूप में सारी मानव जाति के हैं।

11. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने पृष्ठ 3 पर छपे शब्द 'तीनों लोकों' के संदर्भ में कहा है कि यह हिंदू धर्म का एक विशिष्ट विचार है। मुझे लगता है कि मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। हिंदू दर्शन जो कि हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, चौदह लोकों की भी बात कहता है। इन शब्दों की इस प्रकार व्याख्या करना केवल यही प्रदर्शित करता है कि अपने स्वयं के ज्ञान व अनुभव के आधार पर इनका अर्थ गढ़ा है। वर्तमान समय के महान दार्शनिक व संत श्री अरबिंदो ने कुछ आध्यात्मिक शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'अक्षत' का अर्थ है आत्मसमर्पण, 'घी' का अर्थ है पवित्र चेतना और 'सोम' का अर्थ है आनंद। वेद किसी ईश्वर की बात नहीं कहते, वरन एक मूल संदेश देते हैं—'तत् त्वम असि', ईश्वर स्वयं मनुष्य के अंदर है। तीन लोकों से तात्पर्य मनुष्य के भीतर 'आकाश' के तीन स्तरों से है, जिनमें दो दृश्य हैं और तीसरा दृक है। पृथम में पृथ्वी, सौर्यमंडल और करोड़ों अन्य तारे हैं, जिनका प्रकाश भी अब तक पृथ्वी पर नहीं आ पाया है। इसका नाम 'भूत आकाश' है। द्वितीय इस सबका अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है, जिसे हमारी चेतनबुद्धि धारण करती है, अत: उसे 'चित्तआकाश' कहते हैं। जो आकाश हमारी आत्मा में प्रकाशित होता है, उसके सामने यह एक बिंदु के समान है और इसे 'चिदाकाश' कहते हैं। आत्मा, ब्रह्म के समक्ष ये दोनों आकाश एक कण के समान हैं। मनुष्य की यात्रा आनंद की ओर होती है जो इस अमूल्य चिदाकाश से प्राप्त होता है। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं, अपनी अंतरात्मा की ओर होती है। इस प्रकार ग्रीटिंग कार्ड में छपे तथ्यों का बारीकी से सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने से, मेरी राय में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय संविधान के मूल ध्येय 'धर्मनिर्पेक्षता' के विरुद्ध हो या किसी धर्म से संबंधित हो या धर्म की शिक्षा या प्रचार करता हो। अमरीकी संविधान जो वहाँ की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आधारित है, के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान और इस मामले की व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर भी यदि अमरीकी उदाहरणों में दिए गए प्रारंभिक प्रभाव के सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो भी कारपोरेशन के व्यापक व्यापारिक हित में भेजे गए ग्रीटिंग कार्ड को प्रतिवादी का असंवैधानिक या अवैध कार्य नहीं कहा जा सकता। यही सही और वास्तविक स्थिति है और मेरी राय में प्रतिवादी द्वारा दीपावली के अवसर पर ग्रीटिंग कार्ड भेजने से संविधान या किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

12. इसके बाद भी मेरे विचार में, वादी का यह कथन कि 'राज्य' के खर्च पर यह आपत्तिजनक प्रचार किया गया है, भी मान्य नहीं है। यह तथ्य कि प्रतिवादी कारपोरेशन संविधान की धारा 12 के अनुसार 'राज्य' की परिभाषा में आता है या यह राज्य द्वारा स्थापित कारपोरेशन है और इसके शेयर सरकार के अधीन हैं और उसके द्वारा नियंत्रित हैं, भी इसके धन को राज्य का धन नहीं ठहरा सकते। यह धन कारपोरेशन का अपना धन है, कारपोरेशन का राज्य से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, यह एक स्वशासित संगठन है, जिसे संपत्ति प्राप्त करने, रखने या बेचने का स्वतंत्र अधिकार है। इसके विपरीत जो भी कहा गया है, वह मेरी राय में तथ्यहीन है, अत: निरस्त किया जाता है। उपरोक्त कारणों से यह रिट याचिका मान्य नहीं है और खारिज की जाती है। केस की परिस्थितियों को देखते हुए हर्जाने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।